



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.10.2026

सेवा, समर्पण व सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक 'पुलिस स्मृति दिवस' पर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

आज दिनांक 21.10.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद स्थित शहीद स्मारक स्थल पर सेवा, समर्पण व सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक **पुलिस स्मृति दिवस** के अवसर पर अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान श्रीमान पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया गया तथा श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

सलामी गार्ड द्वारा शहीद स्मारक पर सलामी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात, पुलिस उपायुक्त नगर, पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी तथा कमिश्नरेट गाजियाबाद एवं पीएसी के अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी अधिकारीगणों/कर्मचारीगणों द्वारा शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

“सेवा, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की भावना से ओतप्रोत हमारे शहीदों ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका योगदान सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।”

कमिश्नर गजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस'

आयोजित किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नर गजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नर गजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **21.10.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नर गजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक **21.10.2026** को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	66
2.	ट्रांस हिण्डन	82
3.	ग्रामीण	54
कुल कमिश्नर गजियाबाद		202

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त

हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण:-

दिनांक 22.09.2026 को वादिया श्रीमति साजिया बानो सीनीयर मैनेजर एण्ड ब्रान्च हैड फेडरल बैंक लिमिटेड ब्रांच आरडीसी राजनगर थाना कमि0 गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा नकली सोने को असली सोने के रूप में प्रमाणित कर फेडरल बैंक में गिरवी रखकर छलपूर्वक मिली भगत कर फेडरल बैंक से लोन प्राप्त कर लेने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:-

घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.10.2026 को अनुराग सिंह पुत्र स्वं बिजेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 182 माता कालोनी थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को रेलवे रोड के किनारे नगर निगम हाजिरी कार्यालय के सामने से चौकी क्षेत्र सै0 3 राजनगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मैं फेडरल बैंक में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, फर्जी गोल्ड रखकर लोन दिलवाने में शामिल था मेरे विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने के बाद से मैं पुलिस से छिपते हुए इधर उधर घूम रहा था।

अभियुक्त का नाम पता-

1. अनुराग सिंह पुत्र स्वं बिजेन्द्र सिंह निवासी म0नं0 182 माता कालोनी थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी व 01 अवैध चाकू बरामद

दिनांक 21.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर रेलवे माल गोदाम के पास से एक अभियुक्त नाम मुफीद पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला सलेमपुर रोड थाना सिकन्दराबाद कस्बा सिकन्दराबाद उ०प्र० उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की 03 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी बरामद की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथी अदनान द्वारा मो०सा० की डिमाण्ड करने पर उसी कम्पनी की मो०सा० व स्कूटी को अदनान के कहने पर गाजियाबाद तथा एनसीआर क्षेत्र से चोरी करता हूँ तथा हम दोनों साथ मिलकर चोरी की गयी मोटर साइकिल व स्कूटी का चेसिस नम्बर व इंजन नम्बर मिटा कर भौतिक व आर्थिक लाभ हेतु उचित दामों पर बेच देते हैं तथा उससे मिली रकम को आपस में बांट लेते हैं।

नाम पता अभियुक्त:-

1. मुफीद पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला सलेमपुर रोड थाना सिकन्दराबाद कस्बा सिकन्दराबाद उ०प्र० उम्र करीब 26 वर्ष
2. अदनान पुत्र जलालूद्दीन निवासी नियार मण्डी थाना सिकन्दराबाद कस्बा सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश। **(वांछित) अभियुक्त**

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुफीद पुत्र नफीस

1. मु०अ०सं०- 298/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु०अ०सं० 293/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. ई० एफआईआर न०- 009230 ई पुलिस स्टेशन डिस्ट्रीक्ट क्राईम दिल्ली।
4. मु०अ०सं०- 792/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
5. मु०अ०सं०- 327/2023 धारा 392/411 भादवि थाना सिहानीगेट कमि० गाजियाबाद।
6. मु०अ०सं०- 330/2023 धारा 411/414 भादवि थाना सिहानीगेट कमि० गाजियाबाद।
7. मु०अ०सं०- 331/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट कमि० गाजियाबाद।
8. मु०अ०सं०- 340/2023 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर कमि० गाजियाबाद।
9. मु०अ०सं०- 222/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर उ०प्र०।

बरामदगी की विवरण:-

1. मो०सा० रजि० नं०- DL5SCD8396 चेचिस नं०- M BLHAW019KHL14651 है व इंजन नं० HA10ACKHL27572 सम्बन्धित मु०अ०सं० 293/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मो०सा० रजि० नं० UP14DF6810 चेचिस नं० MBLJAR13HHF10116 व इंजन नं० JA06EPHHF10713
3. मो०सा० स्पैल्डर प्लस रंग सिल्वर व काला चेचिस नं० MBLHA10 अंकित है पूरा चेचिस नम्बर नहीं है व इंजन नं० चैक करने पर अंकित नहीं है नम्बर मिटा हुआ है
4. स्कूटी एक्टिवा रजि०नं० DL5SBD3068 चेचिस नं०- ME4JF501HB7356661 इंजन नं० J50E70356729

5. स्कूटी एक्टिवा रंग नीला रजि0न0 DL5SBD3068 चेसिस न0 ME4JF504GF7238418 व इंजन न0 JF50E72238475 सम्बन्धित ई पुलिस स्टेशन डिस्ट्रीक्ट क्राईम ई0 एफआईआर न0- 009230

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 प्लास्टिक के बोरे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद ।

आज दिनांक 21.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ अभियुक्त सलमान पुत्र मुस्तफा निवासी गांव बसंतपुर सैथली, थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 02 प्लास्टिक के बोरे में अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा- 9बी(1) (बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं आगामी त्यौहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से सड़क किनारे चोरी-छिपे अवैध पटाखे बेचने का कार्य करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सलमान पुत्र मुस्तफा निवासी गांव बसंतपुर सैथली, थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

पहले प्लास्टिक के बोरे में BRAN CHOKER / CORNATION NAZI 5 पैकेट, Original Colors 2 डिब्बे, सुतली बम 6 पैकेट, MORI Chap Sunflower 2 पैकेट, Rolling shot 2 पैकेट, फुलझड़ी 13 डिब्बे, अनार 8 डिब्बे, Bullet Bumb 8 पैकेट, Rocket 4 पैकेट, दूसरे प्लास्टिक के बोरे में Rolling shot 8 डिब्बे, Sky shot 10 डिब्बे अवैध आतिशबाजी पटाखे बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर विस्फोटक अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर तीन अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास व 36-36 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विकशन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 21.10.2026 को थाना विजयनगर, कमिश्नर गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302/201/34 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण 1- सुरेश त्यागी पुत्र स्व0 ठाकुरदास 2- श्रीमती ऊषा त्यागी पत्नी सुरेश त्यागी 3- आकाश त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी निवासीगण फ्लैट न0- 906 सी-04, टावर प्रतीक ग्राउन्ड सिटी सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद हाल पता- लक्ष्मी सिटी, खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), गाजियाबाद द्वारा धारा- 302/34 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 201/34 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक श्री स्वतंत्र कुमार सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विकशन सेल' से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री किरनपाल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभि0गण द्वारा वादी की भांजी की हत्या कर शव को छिपा देने के सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर दिनांक 26.01.2022 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

		
श्री किरनपाल सिंह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	आरक्षी प्रताप सिंह पैरोकार कन्विकशन सेल	मु0आ0 सतेन्द्र कुमार पैरोकार थाना विजयनगर

सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन लकड़ी मार्केट वजीराबाद रोड स्थित एक किराये के मकान में द्वितीय तल से अनैतिक देह व्यापार में लिप्त 07 पीड़ित महिलाओं/लडकियों को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मिलित 06 अभियुक्त ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया एवं काफी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

आज दिनांक 21.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना शालीमार गार्डन क्षेत्रान्तर्गत लकड़ी मार्केट वजीराबाद रोड स्थित एक किराये के मकान में द्वितीय तल पर महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो उपरोक्त मकान में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में कुल 07 पीड़ित महिलाओं/पीडिताओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मिलित 06 अभियुक्तगण (ग्राहक) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण व पीडिता महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि संचालिका नेहा द्वारा अनैतिक कमाई करने के उद्देश्य से रेस्क्यू/पीड़ित महिलाओं को लालच देकर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते हैं।

बरामदगी का विवरण:-

आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।